(33)

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III निगरानी/दतिया/भू-रा/2017/2404

प्र.क. /2017 निगरानी

1. चन्द्रप्रकाश } पुत्रगण
2. सूर्यप्रकाश } गोविन्ददास श्रीवास्तव

निवासीगण ग्राम काशीपुर तह. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. हरनारायण पुत्र शीताराम कायस्त निवासी ग्राम काशीपुर तह. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 301/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायायल,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि आवेदकगण के स्वत स्वामित्व एवं आधिपत्यि की कृषि आराजी वंदोवस्त के पूर्व सर्वे क. 8., 324, 431, 43, वन्दोवस्त के बाद नवीन सर्वे 30, 147, 249, 43 आवेदक के कुल रकवा आराजी में हिस्सा 1/2 भाग पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / दतिया / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 2404

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 301 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.7.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा मौजा स्थित सर्वे कमांक 30, 147, 249, 43 बन्दोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक 8, 324, 431, 43 थे, में अनावेदक का कुल रकवा में 1 / 2 भाग का भूमि स्वामी अंकित था तथा अवशेष रकवा 1 / 2 भाग पर आवेदकगण भूमिस्वामी थे, बन्दोवस्त कार्यवाही में अनावेदक का नाम उक्त आराजी नम्बरान पर से बिलोपित कर आवेदकगण का नाम 1 / 2, 1 / 2 अर्थात समान भाग में अंकित कर दिया गया जिसे पूर्वबत इन्द्राज किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 01 / सी–129 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.5.15 द्वारा अनावेदक का हिस्सा 17 / 48 अंकित करने का आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 26.7.17 को यंह कहते हुये निरस्त की गई कि प्रथम अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने से निरस्त की गई है, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के स्वत स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि आराजी बंदोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक 8, 324, 431, 43 बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे कमांक 30, 147, 249, 43 आवेदक कुल रकवा अराजी में हिस्सा 1/2 भाग पर अंकित थे परंतु बन्दोवस्त के वाद हिस्सा 1/2 भाग पर अनावेदकगण आपत्तिकर्ता का बन्दोवस्त में नाम विलोपित करना बताया है, परंतु उक्त आराजी में आवेदक का नाम पूर्व से नहीं था फिर भी अनावेदक द्वारा बन्दोवस्त भूल सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण पंजीवद्व किया जाकर कोई उदघोषणा जारी नहीं की गई और न ही कोई आपत्तियां बुलाई गई। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से नाम कम कर अनावेदक का नाम हिस्सा 17/48 पर नाम अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 28.5.15 से पारित किया गया, तथा इसी प्रकार अपर आयुक्त महोदय द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में यह कहते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया गया कि प्रथम अपील सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि आवेदकगण के अधिवक्ता को सुनकर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील वापिस कर दी जाती तो आवेदकगण को न्यायदान मिलता। अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। आवेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि ग्राम काशीपुर में बन्दोवस्त कार्यवाही वर्ष 1995–96 में प्रारंभ की गई जिसमें बन्दोवस्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही के दौरान समस्त ग्राम वासियों के साथ–साथ आवेदकगण के उपरोक्त सर्वे न0 का भी बन्दोवस्त

किया गया जिसमें आवेदकगण बन्दोवस्त के पूर्व का सर्वे न0 8, 324, 431, 43 थे जो बन्दोवस्त के दोरान नया सर्वे न0 30, 147, 249, 43 किया गया है। नये नम्बरान बनाते समय पुराने अक्श से नये अक्श का मिलान नहीं किया गया जिसका अक्श क्षेत्रफल के मुताबिक एक सर्वे न0 43 नया बढ़ा दिया गया है इस प्रकार बन्दोवस्त के दौरान त्रुटि करते, हुये केवल अनावेदक कमांक–1 हरनारायण पुत्र सीताराम कायस्थ का नाम 1/2 भाग पर अंकित किये जाने के आदेश दिये है वह विधि विरूद्व है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर आवेदकगण का नाम पूर्वतः भूमिस्वामी के रूप में अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा आदेश पारित करते समय आवेदक अधिवक्ता को सुने बगैर आदेश पारित किया गया है उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त ग्वालियर अगर आवेदक के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते तो वह अपनी अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता। आवेदकगण के अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया द्वारा उद्घोषणा, अथवा आपत्तियां आहूत करना थी जिससे आवेदक को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता। आवेदक द्वारा जो जबाव प्रस्तुत किया था उसकी विवेचना ही नहीं की है कि आवेदन

किस आधार पर निरस्त किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर का प्रकरण कमांक 01/सी–129/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.5.15 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का प्रकरण कमांक 301/अपील/2014–15 में पारितं आदेश दिनांक 26.7.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पुरानी अक्श अथवा नई अक्श का मिलान कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें। आवेदकगण चाहे तो प्रथम अपीलीय न्यायालय में भी जाने हेतु स्वतंत्र है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य